



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP48587444948844Y



e-Stamp

7995/26

Certificate No.

: IN-UP48587444948844Y

Certificate Issued Date

: 07-May-2026 11:59 AM

Account Reference

: SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN

Unique Doc. Reference

: SUBIN-UPUPSHCIL0191754596424485Y

Purchased by

: LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Description of Document

: Article 23 Conveyance

Property Description

: VILL-DONA,GATA NO-1990 ETC,TOTAL AREA-0.1244 HEC LUCKNOW.

Consideration Price (Rs.)

:

First Party

: BHAGWAN DEEN

Second Party

: LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Stamp Duty Paid By

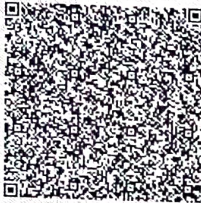
: LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

Stamp Duty Amount(Rs.)

: 2,43,880

(Two Lakh Forty Three Thousand Eight Hundred And Eighty only)

(8)



स्कनेड कल पेज
ज्ञानेन्द्र श्रीवास्तव
निबन्धक सहायक
एवम

Please write or type below this line

IN-UP48587444948844Y

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संच०अ०
ल०वि०अ०

मगनादीन



FH 0001003133

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilstamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



विक्रय विलेखपत्र का विवरण

1. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट - 70,00,000 /- (प्रति हे०)
 2. जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित दर (प्रति हे०) :- 70 लाख का 04 गुणा = 2,80,00,000 /- (प्रति हे०)
 3. विक्रय मूल्य (भूमि+परिसम्पत्ति - 34,83,200 /- (वृक्षों को छोड़कर) का मूल्य)
 4. मालियत रू० - 8,70,800 /-
 5. जनरल स्टाम्प - 2,43,880 /-
- स्टाम्प सं. डी IN-UP48587444948844Y व दिनांक 07-05-2026

विक्रय विलेख

6. भूमि का प्रकार - (कृषि)
7. ग्राम/मोहल्ला - दोना
8. परगना व तहसील - काकोरी तहसील सरोजनीनगर
9. जनपद - लखनऊ

सम्पत्ति का विवरण

- खसरा सं० 1471स का कुल रकबा 0.0190हे० में से विक्रीत रकबा 0.0063हे०,
 खसरा सं० 2986 का कुल रकबा 0.2020हे० में से विक्रीत रकबा 0.0673हे०,
 खसरा सं० 1990 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विक्रीत रकबा 0.0254हे०,
 खसरा सं० 2012 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विक्रीत रकबा 0.0254हे०,
 कुल रकबा 0.3730हे० में से विक्रीत रकबा 0.1244हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग।
10. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.1244हे०
 11. सड़क की स्थिति- किसी भी सेगमेंट मार्ग पर स्थित नहीं है।
 12. विक्रीत रकबा किसी रोड से सटा नहीं है और आबादी से 300 मी० दूरी पर स्थित है।
 13. विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है। विक्रय हेतु अनुज्ञा अंतर्गत धारा-98(1) उ०प्र० राजस्व संहिता कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या- 202515701041066029 आवेदक श्री नन्हके उर्फ भगवानदीन पुत्र भिखारी के नाम अपर जिलाधिकारी-महोदय, वित्त एवं राजस्व, लखनऊ के आदेश दिनांक 30.03.2026 के द्वारा क्रैता लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के पक्ष में विक्रय करने की अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

भगवानदीन

(Signature)

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण

14. परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) - नहीं है।

चौहद्दी खसरा संख्या- 1471स

15. पूरब - गाटा संख्या - 1470
 16. पश्चिम - गाटा संख्या - 1472
 17. उत्तर - गाटा संख्या - 1549
 18. दक्षिण - गाटा संख्या - 1479

19. विक्रेता का विवरण:-

श्री नन्हके उर्फ भगवानदीन पुत्र भिखारी निवासी - दोना, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

आधार नं० 9934 4112 5348 मो० नं० 7388791399 पैन नं० EDNPD1398Q

20. क्रेता का विवरण:-

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत - वरुण विहार आवासीय योजना
 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

लखनऊ विकास विकास प्राधिकरण

गोमती नगर, लखनऊ

द्वारा - श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला

पदनाम - सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार

विभाग - लखनऊ विकास प्राधिकरण

जनपद - लखनऊ मो० - 9540244993

पैन संख्या - AAALL0016F

21. विक्रीत भूमि विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात मिस्ल, रेहन व बय व हिबा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, मुकदमा आदि से ग्रसित नहीं है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नहीं है, और न ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें से रकबा 0.1244 हेक्टेयर भूमि विक्रीत की जाती है। अब वजरूरत खुद के उसी किता भूमिधरी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारो व दाखिल-खारिज सहित पूरे होशो हवास में खूब सोच व समझकर, बिना किसी दबाव मय कुल हक व हकूक को विला छोड़े किसी चीज व हक व जुज के विल एवज मुबलिंग रुपये 34,83,200/- (रुपये चौतिस लाख तिरासी हजार दो सौ मात्र) जिसके आधे मुबलिंग रुपये 17,41,600/- (रुपये सत्तरह लाख इकतालिस हजार छः सौ मात्र) होते हैं, बदस्त क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरुण विहार योजना गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत प्राधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला, सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बय कामिल व फरोख्त कतई

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
 नायब तहसीलदार/संचालक
 ल०वि०प्रा०

किया यानि लखनऊ विकास प्राधिकरण को बेच दिया और कुल विक्रीत धनराशि क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से क्रेता का कब्जा वाकई बखूबी करा दिया, अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत आराजी पर नहीं रह गया व विक्रय धनराशि क्रेता से बाकी नहीं रहा। अगर कोई शख्स दावा करे, तो व बिल्कुल नाजायज होवे और गर विक्रीत आराजी बयसुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारो से निकल जावे या कब्जा न मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतो में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा-खर्चा विक्रेता, उसके वारिसानों तथा दीगर जायदात चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बधित सभी हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को Free From all encumbrances के अन्तरित कर दिए है अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजातों में अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है। उक्त भूखण्ड का, जिसका वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय कर रहा है, को पूर्व में किसी अन्य के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित या अन्य कोई विलेख नहीं किया गया है। और प्रष्णगत भूमि का स्वत्व उसी में निहित है तथा भूमि बन्धक रहित और भारमुक्त है।

लिहाजा यह बैनामा अपने होशो हवास में बिला दबाव नाजायज किसी शख्स के समक्ष गवाहान तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

22. तफसील आराजी बयसुदा:-

भूमिधरी आराजी खसरा सं० 1471स का कुल रकबा 0.0190हे० में से विक्रीत रकबा 0.0063हे०, खसरा सं० 2986 का कुल रकबा 0.2020हे० में से विक्रीत रकबा 0.0673हे०, खसरा सं० 1990 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विक्रीत रकबा 0.0254हे०, खसरा सं० 2012 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विक्रीत रकबा 0.0254हे०, कुल रकबा 0.3730हे० में से विक्रीत रकबा 0.1244हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

प्रस्तुत विक्रय विलेख उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारो की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।

23. तफसील बसूलयाबी:-

कुल विक्रय मूल्य मु० रुपये 34,83,200 /- (रुपये चौतिस लाख तिरासी हजार दो सौ मात्र) विक्रेता श्री नन्हके उर्फ भगवानदीन पुत्र भिखारी उपरोक्त को जरिए डिमांड ड्रॉफ्ट PNB Bank शाखा मुंशी पुलिया, लखनऊ विकास प्राधिकरण ड्रॉफ्ट संख्या 269193 दिनांक 30.04.2026 के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। विक्रेता को कुछ भी पाना शेष नहीं है। विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व कभी भी यदि विक्रेता द्वारा किसी भी व्यक्ति या निकाय के पक्ष में विक्रीत आराजी के बाबत यदि

भगवानदीन

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहरीरदार/गवाह
लखनऊ

57

:: 4 ::

कोई विक्रय विलेख, इकरारनामा-बय अथवा बंधक का निष्पादित किया जाना पाया जाए, तो वह शून्य होवेगा और विक्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने को बाध्य होगा एवं विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी में विफल होने की दशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण जरिए अदालत उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली भू-राजस्व की भाँति करने को हकदार होगा जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आवासीय योजना बनते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भू-राजस्व की भाँति लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को विक्रेता से वसूलने का अधिकार होगा। यह भी उक्त विक्रय से प्राप्त धनराशि पर आयकर के नियमों के अनुसार यदि आयकर बनता है तो उसकी विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि में से स्रोत पर ही नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी और इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान- लखनऊ।

दिनांक- ५/५/२०२६

मानवामदीन

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/संच०अ०
ल०वि०प्रा०



56

आवेदन सं०: 202601041019592

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7995

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 3483200 स्टाम्प शुल्क- 243880 बाजारी मूल्य - 870800 पंजीकरण शुल्क - 34840 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 34900

श्री नन्हके उर्फ भगवानदीन ,
पुत्र श्री भिखारी
व्यवसाय : अन्य
निवासी: दोना

भगवानदीन



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 07/05/2026 एवं 06:34:02 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रति, विक्रय

उप निबंधक :सरोजनीनगर

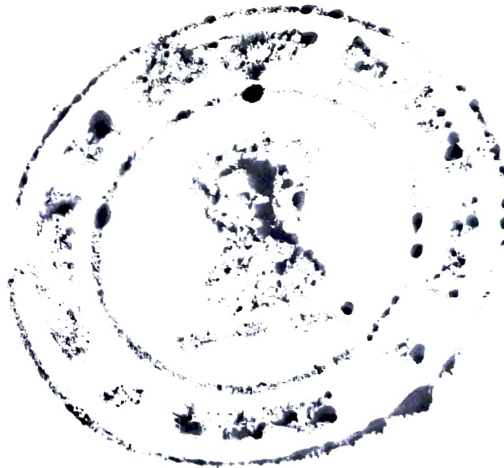
लखनऊ

07/05/2026

ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

निबंधक लिपिक

07/05/2026



हस्ताक्षर विक्रेता

मानविक दमि

गवाह - 01



नाम - श्री शिवम अवस्थी (संविदा अमीन)
पिता का नाम - श्री दिनेश कुमार अवस्थी
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

आधार संख्या- 4986 9378 6018
मोबाइल संख्या - 6387717976



Pa

टाइपकर्ता

सौरभ

लखनऊ विकास प्राधिकरण

ज्ञानेन्द्र प्रताप

नायब तहसीलदार/लखनऊ
ल०वि०प्रा०

हस्ताक्षर क्रेता



गवाह - 02

नाम - श्री देशराज (लेखपाल)
पिता का नाम - श्री राम सागर
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आधार संख्या- 6542 8459 4318
मोबाइल संख्या - 7081100818



Handwritten signature

प्रालेखक

D

श्री दान बहादुर पाठक
(एडवोकेट)

लखनऊ विकास प्राधिकरण
मो० 6386063529



54

श्री देशराज लेख0,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

(Handwritten signature)



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(Handwritten signature)
श्रीति . विक्रम

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

07/05/2026

ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

निबंधक लिपिक लखनऊ

07/05/2026

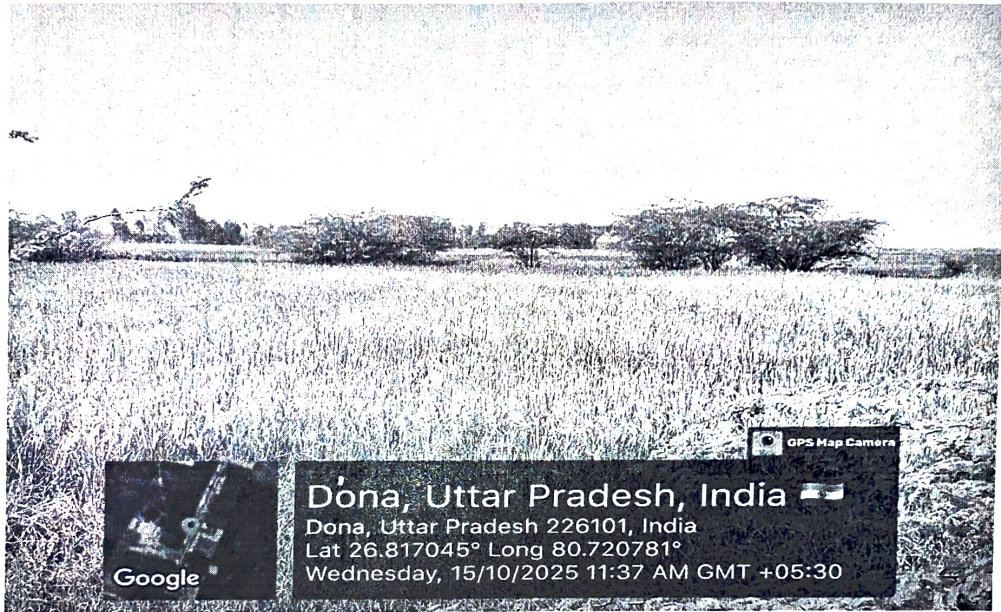
ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी :

रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश



विकीत सम्पत्ति का फोटो ग्राफ

खसरा सं० 1471स का कुल रकबा 0.0190हे० में से विकीत रकबा 0.0063हे०, खसरा सं० 2986 का कुल रकबा 0.2020हे० में से विकीत रकबा 0.0673हे०, खसरा सं० 1990 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विकीत रकबा 0.0254हे०, खसरा सं० 2012 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विकीत रकबा 0.0254हे०, कुल रकबा 0.3730हे० में से विकीत रकबा 0.1244हे० अर्थात् विकेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



मानविक
विकेता के हस्ताक्षर

ज्ञानेंद्र प्रताप शुक्ला
नायब सहायक/संचालक
लखनऊ

केता के हस्ताक्षर



52

आवेदन सं०: 202601041019592

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7995

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री नन्हके उर्फ भगवानदीन,

[BHAGWAN DEEN

पुत्र श्री भिखारी

निवासी: दोना

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 398Q

क्रेता: 1



श्री लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला [LUCKNOW DEVELOPMENT
(नायब तहसीलदार), AUTHORITY

....

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 016F



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

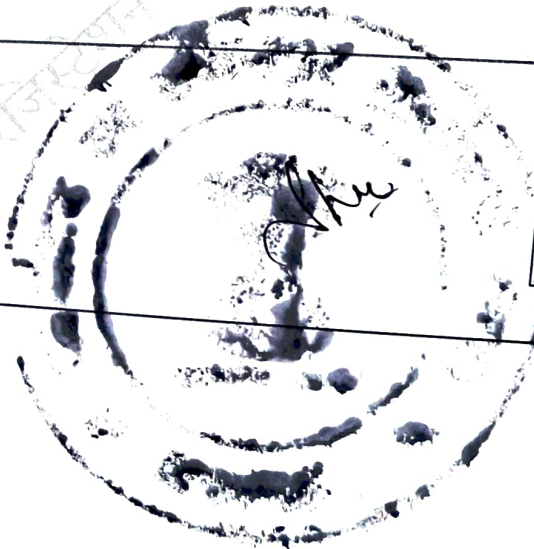
पहचानकर्ता : 1

श्री शिवम अवस्थी अमीन, ,,,,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

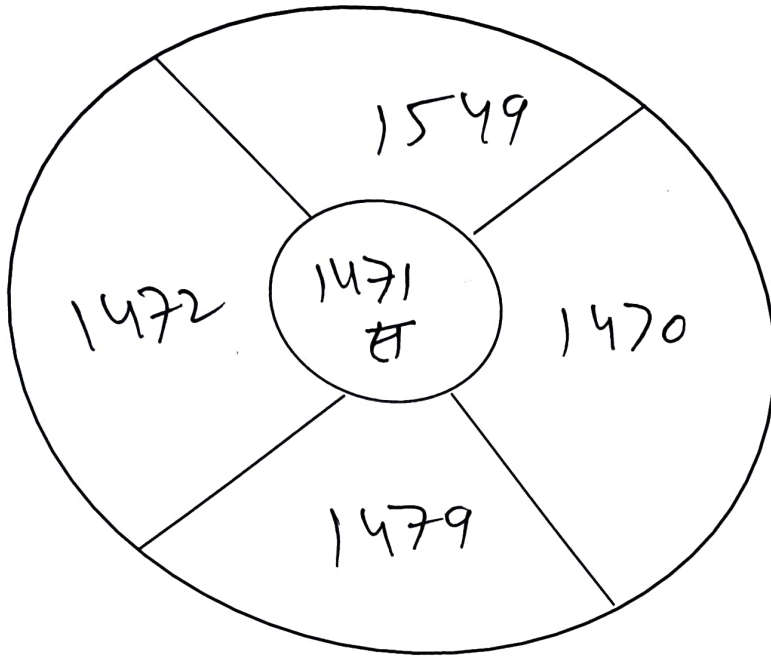
व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



0 - 200 मीटर त्रिज्या का मानचित्र

खसरा 1471स का कुल रकबा 0.0190हे० में से विक्रीत रकबा 0.0063हे०, खसरा सं० 2986 का कुल रकबा 0.2020हे० में से विक्रीत रकबा 0.0673हे०, खसरा सं० 1990 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विक्रीत रकबा 0.0254हे०, खसरा सं० 2012 का कुल रकबा 0.0760हे० में से विक्रीत रकबा 0.0254हे०, कुल रकबा 0.3730हे० में से विक्रीत रकबा 0.1244हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



मानक देना
विक्रेता के हस्ताक्षर

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
महानगर सहायक/संचालक
महानगर

केता के हस्ताक्षर



50

आवेदन सं०: 202601041019592

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15338 के पृष्ठ 311 से 330 तक क्रमांक 7995 पर दिनांक 07/05/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रीति . विक्रम

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

07/05/2026

